दिनांक 07.06.2021

प्रेस विज्ञप्ति 07/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 28 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.06.2021 की रात्रि थाना गुलरिहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तरकुलहा बॉसस्थान रोड से पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–सन्तोष उर्फ सत्येन्द्र 2–गौरव उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 28 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सन्तोष उर्फ सत्येन्द्र के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त गौरव उर्फ गोलू के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट आर्म्स एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 31.05.2021 को थाना गुलरिहा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियक्तों के कब्जे से बरामद नगद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गुलरिहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्तोष उर्फ सत्येन्द्र निवासी घघसरा थाना सहजनवॉ जनपद गोरखपुर।

2—गौरव उर्फ गोलू निवासी रामपुर चक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—लूट के 28 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

3— घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बदायूँ/थाना सिविल लाइन

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 06.06.2021 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जिला अस्पताल के सामने हाथी पार्क से पुरस्कार घोषित अभियुक्त यशपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बदायूँ के विभिन्न थानो में हत्या, धोखाधडी, आबकारी अधिनियम के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2021 धारा 420/467/468/471/120बी/272 भादवि व 60(क) आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यशपाल निवासी बावट थाना कुवरगंज जनपद बदायूँ हालपता दातागंज चुंगी के पास थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ।

जनपद बिजनौर/थाना मण्डावर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.06.2021 को थाना मण्डावर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मण्डावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम निवासी भरूका थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 दो पहिया वाहन,01 सेन्ट्रो कार बरामद**

दिनांक 07.06.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुरूगोविन्द सिंह चौराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–विकास 2–विजय कुमार 3–विनोद 4–शक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 दो पहिया वाहन, 01 सेन्ट्रो कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके द्वारा जनपद व जनपद के आस पास से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी मीरपुर कांटे थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

2—विजय कुमार निवासी रत्नाभारी थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

3—विनोद निवासी गोपियापुर सरैंया थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

4—शक्ति निवासी तुलसीपुर माझा पूरेडाली का पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—चोरी की 24 दो पहिया वाहन।

2—01 सेन्ट्रो कार।

जनपद प्रयागराज/थाना जार्जटाउन

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 चार पहिया, 03 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 07.06.2021 को थाना जार्जटाउन की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वन विभाग चौराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1—आकाश 2—अम्बर 3—अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 चार पहिया वाहन, 03 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जार्जटाउन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी शिवपुरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज हालपता–दरभंगा कालोनी थाना जार्जटाउन जनपद प्रयागराज।

2–अम्बर निवासी शिवपुरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज हालपता–दरभंगा कालोनी थाना जार्जटाउन जनपद प्रयागराज।

3–अनिल निवासी शिवपुरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज हालपता–दरभंगा कालोनी थाना जार्जटाउन जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–चोरी की 03 चार पहिया वाहन।

2–चोरी की 03 दो पहिया वाहन।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 06/07.06.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–हारून 2–शकील 3–सत्यम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिसमें अभियुक्त हारून के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद व जनपद के आस पास से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—हारून निवासी पीरबटावन थाना कोतवाली नगर जपद बाराबंकी, मूलपता—मस्तान रोड कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

2—शकील निवासी शाहपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी।

3—सत्यम निवासी भिन्दुआ भिटरिया थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी 09 मोटर साइकिल।

2—02 मोबाइल फोन।

<u>जनपद बिजनौर/थाना धामपुर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.06.2021 को थाना धामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्योहारा रोड पर कांशीराम आवासीय कालोनी धामपुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त करीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 01 जीवित कारतूस 12 बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–करीमुद्दीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पल्ला उर्फ पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1–07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–01 कारतूस 12 बोर।

3–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>एसटीएफः थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर दिनांक 14–05–2021 को हुई डकैती में वांछित रू0 25–25 हजार के 02 पुरस्कार घोषित लूटेरे चन्दन जायसवाल व बलजीत यादव उर्फ विधायक को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।</u>

दिनांक 06–06–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद जौनपुर के थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर हुई डकैती में वांछित रू0 25–25 हजार के 02 पुरस्कार घोषित लूटेरों को जनपद जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– बलजीत यादव उर्फ विधायक पुत्र लक्ष्मीशकर यादव निवासी सोनावा, थाना चॉदा, जनपद–सुलतानपुर।

2– चन्दन जायसवाल पुत्र दालचन्द्र जायसवाल नि0 तुरकौली, थाना–आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।

<u>बरामदगीः</u>

1– 01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर।

2– 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3– 3150 रूपये।

4– 02 अदद मोबाइल।

5– 01 अदद मोटर साइकिल यूपी 62 वीपी 5317

गिरफ्तारी का स्थान व समय

राजवाहा रामगंज, नहर की पुलिया, थाना सिगरामऊ, जनपद जौनपुर दिनांक 06.06.2021 समय 20. 10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। दिनांक 14–05–2021 को जनपद जौनपुर के थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर हुई डकैती के सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2021 धारा 395, 412 भादवि में वांछित अभियुक्त विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू को दिनाक 05–06–2021 को हयात होटल के पीछे निर्माणाधीन एल्डिको कार्पोरेट टावर, लखनऊ के पास से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय इसके साथ इसका साथी चन्दन जायसवाल भी था जो भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था, जिस हेतु एसटीएफ टीम जनपद जौनपुर पुलिस के सम्पर्क में थी, तभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त विश्वजीत जासयवाल के साथ चन्दन जायसवाल था जो मौके से फरार हो गया था, जो पैसों के तंगी के चलते लखनऊ से भागकर जनपद जौनपुर में अपने साथी बलजीत के साथ फिर से लूट की घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर निरीक्षक दिलीप तिवारी उ0नि0 मनोज पाण्डेय, मु0आ0 अंजनी यादव, आरक्षी विजय, अशोक व कौशलेन्द्र की एक टीम जनपद जौनपुर रवाना की गयी, एसटीएफ टीम जौनपुर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से मुखबिर के सूचना पर वांछित अभियुक्त चन्दन जायसवाल व बलजीत यादव को आवश्यक बल प्रयोग कर राजवाहा रामगंज, नहर की पुलिया, थाना सिगरामऊ, जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि यह लोग अपने गैग के लोगों के साथ महराजगंज कस्बा स्थित एक ग्राहक सेवा केन्द्र पर डकैती डालने की योजना बनाये थे। इसके लिए इन लोगों द्वारा बदलापुर के पास से दो मोटरसाइकिल लूटी गयी तथा दिनांक 14–05–2021 को ग्राहक सेवा केन्द्र बन्द मिलने के कारण हमारे द्वारा पेट्रोल पम्प पर लगी भीड़ को देखकर अधिक पैसा मिलने की उम्मीद के चलते वहॉ तत्काल डकैती डालने की योजना बनाई, यह लोग पेट्रोल पम्प पर अपने साथियों के साथ जाकर कई फायर किये, जिससे वहॉ अफरा–तफरी मच गयी, फिर

पेट्रोल पम्प कर्मियों से बैग लूटकर वहॉ से फरार हो गये। फरारी के दौरान इनके पैसे खत्म हो गये, इस लिए इनको विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू ने लखनऊ में डकैती डालने के लिए बुलाया, जिसके लिए इन लोगों द्वारा रेकी की जा रही थी, उसी दौरान एसटीएफ टीम का छापा पड़ गया, जिसमें इनका साथी विश्वजीत जायसवाल गिरफ्तार हो गया और यह मौके से फरार होकर जौनपुर आ गया, जहॉ यह लोग एक लूट की घटना कारित करने का प्रयास कर रहे थे। बरामद मोटर साईकिल के बारे में चन्दन ने बताया कि यह मोटर साइकिल वर्ष–2019 में अपने साथी जीतू, श्याम सिंह यादव और बलजीत यादव के साथ मिलकर कस्बा सिंगरामऊ से चोरी की थी, जिसका नम्बर प्लेट बदलकर हम लोग चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त चन्दन जायसवाल के विरूद्ध थाना महराजगंज, जौनपुर में मु0अ0सं0 65/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है एवं अभियुक्त बलजीत यादव को पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2021 धारा 395, 412 भादवि में दाखिल किया जा रहा है, अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफ: **थाना रेलबाजार कानपुर नगर में सनसनी खेज तरीके से आशू यादव की हत्या अपने साथियो के साथ करके फरार चल रहे रू0 50,000/–के पुरस्कार घोषित दुर्दान्त अपराधी/ हिस्ट्रीशीटर अमित गुप्ता व उपरोक्त हत्याकाण्ड में सहयोगी व रू0 50,000/– की पुरस्कार घोषित शातिर महिला अभियुक्ता/हिस्ट्रीशीटर दीपिका शुक्ला को एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

आज दिनांक 07–06–2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा थाना रेलबाजार कानपुर नगर में सनसनी खेज तरीके से आशू यादव की हत्या अपने साथियो के साथ करके फरार चल रहे रू0 50,000/–के पुरस्कार घोषित दुर्दान्त अपराधी/ हिस्ट्रीशीटर अमित गुप्ता व उपरोक्त हत्याकाण्ड में सहयोगी व रू0 50,000/– की पुरस्कार घोषित शातिर महिला अभियुक्ता/हिस्ट्रीशीटर दीपिका शुक्ला को कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:–

1– अमित गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी 65/258 मोतीमोहाल, थाना हरवंश मोहाल, जनपद कानपुर नगर।

2– दीपिका शुक्ला पत्नी हरीराम शुक्ला निवासी बैरी सोभन, थाना शिवली, कानपुर देहात।

बरामदगीः—

1— 01 अदद पिस्टल 32 बोर पिस्टल मय मैग्जीन।

2— 05 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर ।

3— 01 अदद तमन्चा 32 बोर।

4— 06 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

5— 04 अदद मोबाइल फोन।

6— रू0 2880/— नगद ।

7— 01 अदद आधार कार्ड नाम अमित गुप्ता न0 6375 1394 5672 ।

8— 01 अदद आधार कार्ड नाम देव अग्रवाल न0 7375 1394 5672 ।

9— 01 अदद आधार कार्ड नाम ज्योति अग्रवाल न0 8150 6452 7608 ।

10— 01 अदद आधार कार्ड नाम दीपिका शुक्ला उर्फ तितिन न0 8150 6452 7608 ।

11— 01 अदद पेन कार्ड अमित गुप्ता DIYPG8660M

12— 01 अदद स्टैन्डर्ड चार्टड बैंक बीजाकार्ड अमित गुप्ता के नाम न0 4636 6500 6432 7363 ।

13— 01 अदद एक्टिवा स्कूटी रंग सफेद गाडी न0 UP 78 FQ 2670।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय— दिनांक 07—06—2021 को सयम लगभग 15.30 बजे सीओडी फ्लाईओवर के नीचे सुजातगंज/श्यामनगर जाने वाले मोड़ पर ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से कुख्यात अपराधियो, माफियाओ, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियो के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना सूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ, कि 02 जनवरी 2021 को आशू यादव पुत्र स्व0 अनुज सिंह यादव निवासी डी 19 खपरा मोहाल, थाना रेलबजार, जनपद कानपुर नगर की कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अमित गुप्ता, उसकी महिला मित्र दीपिका शुक्ला एवं सचिन वर्मा व किशन वर्मा ने साथ मिलकर कर इस सनसनी खेज हत्या काण्ड को अंजाम दिया था तथा मृतक आशू यादव के शव को उसी के वाहन में डाल कर लावारिस हालत में बम्बा के बगल में थाना क्षेत्र बर्रा

में छोड़ कर फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना रेल बाजार, जनपद कानपुर नगर में मु0अ0सं0 02/2021 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत हुआ था तथा सचिन व किशन वर्मा को स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अमित गुप्ता व हिस्ट्रशीटर दीपिका शुक्ला फरार हो गये थे। इसी अभियोग में वांछित होने के कारण दोंनो अभियुक्तों/हिस्ट्रीशटरों पर रू0 50,000–50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। कुख्यात अभियुक्त अमित गुप्ता एंव अभियुक्ता दीपिका शुक्ला काफी समय से अपराध जगत में सक्रिय हैं।

उल्लेखनीय है कि अमित गुप्ता द्वारा वर्ष 2006 में थाना कल्यानपुर क्षेत्र में डकैती डाल कर तीन लोगों की हत्या कारित की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय कानपुर नगर द्वारा अभियुक्त अमित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। अमित गुप्ता वर्ष 2011 में न्यायायिक अभिरक्षा से फरार हो गया हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कानपुर नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। मा0 उच्च न्यायालय से वर्ष 2020 में जमानत मिलने के पश्चात अभियुक्त अमित गुप्ता द्वारा पुनः आशु यादव की जघन्य हत्या एवं सनसनी खेज घटना को कारित किया गया था, जिसके पश्चात अभियुक्त अमित गुप्ता अपनी महिला मित्र/सह अभियुक्ता दीपिका शुक्ला के साथ निरन्तर फरार चल रहा था। अभियुक्ता दीपिका शुक्ला थाना शिवली कानपुर देहात की बी–क्लास मजारिया हिस्ट्रीशीटर है, जो कानपुर नगर एवं कानपुर देहात में नकली शराब के बड़े पैमाने पर बनाने और बेचने के मामले में जेल जा चुकी है, जिस पर वर्ष 2019 में थाना सचेण्डी कानपुर नगर से गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त अमित गुप्ता एवं अभियुक्ता दीपिका शुक्ला द्वारा फरारी के दौरान पश्चिमी उ0प्र0 एवं अन्य प्रान्तो में अपराध कारित करने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है ।

आज दिनांक 07–06–2021 को सूचना प्राप्त हुई कि कुख्याता पुरस्कार घोषित अपराधी/हिस्ट्रशीटर अमित गुप्ता अपनी महिला मित्र पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीशीटर दीपिका गुप्ता के साथ सफेदरंग की स्कूटी न0 UP 78 FQ 2670 से टाटमील चौराहे से सीओडी फ्लाईओवर के नीचे से सुजातगंज की ओर जाने वाले है। यदि शीघ्रता की जाये तो दोनों को पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक लान सिंह, मुख्य आरक्षी रामदयाल पाण्डेय एवं मुख्य आरक्षी राजबब्बर सिंह व टीम के अन्य सदस्यों के साथ तथा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर की निशादेही पर एस0टी0एफ0 एवं स्थानीय पुलिस पुलिस की संयूक्त कार्यवाही में पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अमित गुप्ता व उसकी महिला मित्र पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्ता

दीपिका शुक्ला को समय करीब 15.:30 बजे सी0ओ0डी0 फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ में अभियुक्त अमित गुप्ता द्वारा जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं और दीपिका के पति एक साथ जेल में बन्द थे। दीपिका अपने पति से मिलने आती थी, वहीं पर हमारी दीपिका से जान पहचान हुई। जब मैं जमानत पर छूट कर बाहर आया तो दीपिका ने मुझे आशू यादव के बारे में बताया कि वह उसे बहुत परेशान करता है और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात कहता है, जिस पर हम लोगों ने आशू को मारने का प्लान बनाया। दिनांक 31/01–01–2021 को आशू यादव को पार्टी के बहाने मसवानपुर बुलाया और पार्टी की, जिसमें नशे की हालत में आशू यादव के गले मे रस्सी का फंदा लगा कर उसकी हत्या कर दी और आशू के शव के उसी की मारूती गाड़ी में बम्बा के किनारे थाना क्षेत्र बर्रा, कानपुर नगर में छोड कर चले गये थे। इस घटना मे मेरे साथ दीपिका, सचिन वर्मा एवं किशन वर्मा भी मौजूद थे। हत्या करने के बाद हम लोगो ने आशू के पास से 03 मोबाइल व सोने की चेन व अंगूठी निकाल ली थी। मोबाइलो को मैंने फजलगंज के पास एक नाले में फेंक दिया था तथा चेन व अगूँठी इटावा में रिंकू यादव को बेचने के लिये दे दिया था। पुलिस का दबाव पड़ने पर मैं बिधूना में दीपिका के परिचित के घर पर दीपिका के साथ रूका रहा, जहॉ से हम लोग भाग कर गाजियाबाद चले गये थे तथा नन्दगॉव में किराये का कमरा लेकर रह रहे थे। कल रात को ही वापस आये तथा आज दीपिका को साथ लेकर माँ से मिलने रामादेवी की तरफ जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्ता दीपिका द्वारा बताया गया कि मेरे पति जेल मे हैं, वहीं पर अमित गुप्ता भी मेरे पति के साथ पूर्व में जेल मे था, तभी से हमारी अमित गुप्ता से पहचान हुई है। मृतक आशू यादव मुझे फोन करके धमकाता था तथा साथ रहने व शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात करता था, जिसकी जानकारी मैंने अपने मित्र/सहयोगी अमित गुप्ता को दी। अमित गुप्ता ने दिनांक 31/01–01–2021 को पार्टी के बहाने आशू यादव को मसवानपुर कल्यानपुर कानपुर बुलाया जहॉ पर मैंने अमित गुप्ता, सचिन वर्मा एवं किशन वर्मा के साथ मिलकर आशू यादव की नशे के हालत में रस्सी से गला दबा कर हत्या कर दी थी तथा हत्या करने के बाद आशू के शव को आशू की ही मारूती कार में बम्बा के किनारे थाना क्षेत्र बर्रा, कानपुर नगर में गाड़ी समेत छोड दिया था, और हम लोग फरार हो गये थे। कुछ दिन बिधूना जनपद औरैया में अपने परिचित के यहॉ रूके उसके बाद नन्दगॉव गाजियाबाद में जीडीए कॉलोनी मे कमरा किराये पर लेकर रहने लगे। अमित गुप्ता को अपनी मॉ मिलने आना था इसलिये कल रात में ही हम लोग कानपुर आये, जहॉ अमित गुप्ता ने

अपने किसी दोस्त से बात कर एक्टिवा गाड़ी मगाई जिससे हम लोग अमित की माँ से मिलने रामादेवी की ओर जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रेल बाजार कानपुर नगर में मु0अ0सं0 122/2021 धारा 420/467/468 भादवि, मु0अ0सं0 123/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 124/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अमित गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता आपराधिक इतिहास–एच0एस–519ए, थाना हरबंस मोहाल, जनपद कानपुर नगर।

1— मु0अ0स0 341/06 धारा 396/412 भादवि थाना कल्यानपुर कानपुर नगर।

2— मु0अ0स0 30/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर।

3— मु0अ0स0 31/12 धारा 419/420/467/468/471 भादिव थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर।

4— मु0अ0स0 35/12 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर।

5— मु0अ0स0 291/11 धारा 221/222/223/224 भादवि थाना कोतवाली कानपुर नगर।

6— मु0अ0स0 26/17 धारा 307/41/411 भादवि थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर।

7— मु0अ0स0 02/21 धारा 302/201/34 भादवि थाना रेलबाजार कानपुर नगर।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्ता दीपिका शुक्ला का आपराधिक इतिहास–एचएस–5बी, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात।

1— मु0अ0स0 553/17 धारा 420/467/468/471/272 भादवि व 60/62/72 आबकारी अधिनियम थाना सचेण्डी कानपुर नगर।

2— मु0अ0स0 15/19 धारा 420/467/468/471/272 भादवि व 60/62/72 आबकारी अधिनियम थाना कोहना कानपुर नगर।

3— मु0अ0स0 81/19 धारा 420/467/468/471/272 भादवि व 60/62/72 आबकारी अधिनियम थाना शिवली कानपुर देहात।

4— मु0अ0स0 396/19 धारा 3(1) गैगस्टर अधिनियम थाना सचेण्डी कानपुर नगर।

———